

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक
पीठासीन अधिकारी-

डॉ. सूरज सिंह नेगी

आर.ए.एस.

तारीख निर्णय

30.11.2023

मिसल नम्बर

88/2023 प्रा.पत्र/2023

तारीख दायरा

29.08.2023

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
टोंक

बनाम

.....प्रार्थी

- 1-श्री सक्षम जैन पुत्र श्री पारस जैन निवासी प्लॉट नं. 6 बी शास्त्री नगर टोंक जिला टोंक
एफ.बी.ओ. मैसर्स एस.के. एन्टरप्राइजेज जवाहर बाजार नौशे मियां का पुल टोंक जिला टोंक
2-मैसर्स एस.के. एन्टरप्राइजेज जवाहर बाजार नौशे मियां का पुल टोंक जिला टोंक
3-श्री विपुल बागला पुत्र श्री विनोद कुमार बागला निवासी 372, नेमी सागर कॉलोनी,
वैशाली मार्ग, क्वीन रोड, जयपुर राज. प्रोपरायटर मैसर्स नैचुरल कन्ज्यूमर केयर मार्केटिंग प्रा.
लि. जी1-763-764, ब्लॉक-2, सीतापुरा इण्ड. एरिया टोंक रोड जयपुर राज.
4-मैसर्स नैचुरल कन्ज्यूमर केयर मार्केटिंग प्रा. लि. जी1-763-764, ब्लॉक-2, सीतापुरा
इण्ड. एरिया टोंक रोड जयपुर राज.

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की
उप धारा (iv) एवं दण्डनीय धारा 58 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित-

- 1-पेरोकार सरकार।
- 2-अप्रार्थीगण स्वयं उप।

:-निर्णय:-

दिनांक 30.11.2023

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी
दिनांक 11.05.2023 को समय 03:00 पीएम पर मैसर्स एस.के. एन्टरप्राइजेज जवाहर बाजार
नौशे मियां का पुल टोंक जिला टोंक पर पहुंचा। वहां श्री सक्षम जैन पुत्र श्री पारस जैन
मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री सक्षम जैन ने स्वयं को
प्रतिष्ठान का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा
प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि
प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान की रैक में लगभग 40 नग पॉली पैक
पैकड अवस्था में प्रत्येक नग 90-90 ग्राम पैक जलजीरा (दिलबहार ब्राण्ड) रखा हुआ था,
जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक
स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री सक्षम जैन को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में
निर्णयानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री सक्षम जैन व गवाहान



के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह जलजीरा (दिलबहार ब्राण्ड) जिसके बैच नम्बर 82302 एवं पैकिंग की दिनांक मार्च 2023 थी, वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, 20 नग खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा जलजीरा (दिलबहार ब्राण्ड) 90-90 ग्राम के 20 नग ज्यों का त्यों कागज के गत्ते के 4 डिब्बों में अलग-अलग प्रत्येक डिब्बे में 5-5 पैकेट रखकर अच्छी तरह एयरटाइट बन्द कर नियमानुसार चार भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-3627 दर्ज कर, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई-3627 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री सक्षम जैन जैन ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स नैचुरल कन्ज्यूमर केयर मार्केटिंग प्रा. लि. जी1-763-764, ब्लॉक-2, सीतापुरा इण्ड. एरिया टोंक रोड जयपुर राज. का वारन्टी बिल पेश कर उक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2023/3112 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल.एस./2025/एक्ट/2023/2120 दिनांक 07.06.2023 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया जलजीरा (दिलबहार ब्राण्ड) खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के रेगुलेशन नं. 2.9.20(2) के अनुसार कॉन्ट्रावेन (Contravene) स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण स्वयं उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है तथा यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। मात्र minimum percentage of Spice content लेबल पर अंकित नहीं होने से उक्त नमूना कॉन्ट्रावेन स्तर का होना पाया गया है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शक्ति के साथ निस्तारण किया जावे। परोकार सरकार की बहस सुनी गई। परोकार



सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस जलजीरा (दिलबहार ब्राण्ड) का विक्रय कर रहे थे वह जांच में कॉन्ट्रावेन (Contravene) स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया जलजीरा (दिलबहार ब्राण्ड) का नमूना जांच में कॉन्ट्रावेन (Contravene) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (iv) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 58 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 15,000/- (अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 30.11.2023 से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर नियमानुसार शास्ति वसूली की कार्यवाही की जावेगी। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.11.2023 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



(डॉ. सुरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक-राज0